

मु० न०:- 86 / 2021

तारीखरजू:- 28.7.21
~~17.8.2021~~


उनवान:- नाहरसिंह बनाम मूली

दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग एवं स्थायी निषेधाज्ञा फर्द अहकाम

दिनांक
2
21

वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग एवं स्थायी निषेधाज्ञा राज०टी०एक्ट, के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 17.08.2021 को पेश हो।

3775-83
28/7/2021


(दुर्मा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली


17-8-21 वादी वकील उप० प्रतिवादी नम्बर 1, 2 की ओर से श्री मनीज कुमार शर्मा Adv के काल में जमाना पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 3 से 6 के सम्मन देने से इन्कार किया है। तामील मानी जाती है उप० नहीं है प्रतिवादी नं. 7 का सम्मन डादम तामील से प्राप्त हुआ है प्रतिवादी नं. 8, 9 का सम्मन उप० नहीं है प्रतिवादी नं. 3 से 6, 8, 9 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है प्रतिवादी नं. 7 की तलबी दिये प्रतिवादी नं. 1, 2 का जमाना पेश कले दिनांक 21.9.21 को पेश हो।



19/21 वादी वकील/वकील उमय बक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी करते हैं। जमाना की प्रिति में पधारें हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 19.11.21 को पेश हो।

-9-21 पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब ही गई। वादी व वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत 20/9/21

नाहरसिंह मीना



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला


दिनांक

फर्द अहकाम

बिधा बि वादी इहे वाद पन के चलाना
 नही चाहता है बिद्वी इर नया दावा
 पेदा करना चाहता है अतः नया प्रोस
 में दावा खारिज कर दिया जावे।

पत्रावली का अक्लीफन बिधा
 छान अक्लीफन प्राची (वादी) द्वारा प्रस्तुत
 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है
 वादी को दावा बिद्वी इर नया दावा पेदा
 करने की अनुमति दी जाती है दावा नया
 प्रोस में खारिज दिया जाता है।

पत्रावली वाद नालिल लउमील दाखिल
 दुफ्तार है। निरदि खूने न्यायालय
 में आज दिनांक 24-9-21 को हुनाया
 गया।


 24/9/21